माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या :–(0755) 2551166–71(111)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमाँ / गोपनीय–समन्वय / 456 / 2020 भोपाल, दिनाँक 21 / 8 / 2020

प्रति,

1. प्राचार्य
   समस्त शास. जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थायें,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त अशासकीय मान्यता एवं संबंद्धता प्राप्त डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थायें
   मध्यप्रदेश।

विषय–वर्ष 2020 डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा विषयक्।

डी.एल.एड.प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष 2020 के समस्त शास. / अशा. मान्यता / सम्बद्धता प्राप्त डी. एल.ए. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सैद्धांतिक / व्यावहारिक परीक्षाओं के आन्तरिक मूल्यांकन एवं अध्यापन अभ्या / विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने की निम्नानुसार तिथियां घोषित की जाती है :–

क्र.	रीक्षा एवं विषय	अंक प्रदाय करने हेतु अधिकृत माध्यम	ऑनलाईन अंक की प्रविष्टि की अंतिम तिथि
1	ा)प्रथम वर्ष सैद्वांतिक का आन्तरिक ल्यांकन व्यवहारिक का आंतरिक ल्यांकन।	शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / सुविधा केन्द्रं / महाविधालय	22 / 09 / 2020
	() इन्टर्नशिप का आंतरिक ल्यांकन। द्वितीय वर्ष के छात्रों के ाये।	शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / सुविधा केन्द्र / महाविधालय	22 / 09 / 2020
2	ऽ.एल.एड. प्रथम वर्ष शिक्षण अभ्यास ऽ.एल.एड. द्वितीय वर्ष शिक्षण अभ्यास एं विज्ञान प्रायोगिक	बाहय प्रायोगिक परीक्षा 01 / 09 / 2020 से 20 / 09 / 2020 के मध्य मण्डल द्वारा किये गये रेण्डमाइजेशन के अनुसार बाह्य परीक्षकों द्वारा	22 / 09 / 2020

उपरोक्त समयसारिणी के आधार पर परीक्षायें सम्पन्न कराते हुये अंकों के प्रेषण हेतु निम्नासार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1) सैंांतिक एवं व्यावहारिक का आन्तरिक मूल्यांकन छात्र की अध्ययनरत संस्था में सम्पन्न कराई जाना।

2) अापन अभ्यास एवं विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा बाह्य परीक्षकों के माध्यम से सम्पन्न की जावेगी। बाह्य रीक्षकों की नियुक्ति संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकायों द्वारा शास. शिक्षा महाविद्यालयों / शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं / शास.शालाओं में कात प्राचार्य / व्याख्याता जो एम.एड. / बी.एड. प्रशिक्षित है जिनका ऑनलाइन पंजीयन कराया गया हैइन्ही ऑनलाइन पंजीकृत सूचियों में से मण्डल द्वारा किये गये रेण्डमाइजेशन के अनुसार बाह्य परीक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति संचालित डी.एल.एड. संस्थाअ के लिए संभाग के अंदर निकटवर्ती जिलों से की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में संयुक्त संचाल को बाह्य परीक्षकों के नियुक्ति आदेश परिर्वतन का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कारण सहित ण्डल मुख्यालय को देना अनिवार्य रहेगा।

(3) आंरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन समन्वय संस्था के माध्यम से प्रेषित किए जाने है। अंक प्रेषण हेतु समन्वय संस्था को उपलब्ध कराए गए लॉगिन एवं पासवर्ड का उपयोग करें। इस लॉगिन वं पासवर्ड से लॉगिन करने पर अंक प्रेषण हेतु उपलब्ध प्रारूप में अनुकमांकवार अंको की प्रविष्टि ी जाए। अंको की प्रविष्टि उपरांत चेकलिस्ट प्रारूप में अंको का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

निरंतर.......2

इस चेकलिस्ट का भलीभांति परीक्षण उपरांत अंको को लाक करे। ध्यान रहे अंतिम रूप से लाक करने के पश्चात अंको में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा ना ही इस संबंध में कोई परिवर्तन/त्रुटि संबंधि आवेदन मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

(4) संपूर्ण प्रविष्टि उपरांत अंको का प्रिंट आउट प्राप्त करें। इस प्रिंट आउट पर आंतरिक/बाह्य परीक्षक (जो लागू हो) एवं संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा लगा कर शील्ड लिफाफे में समन्वय संस्था में ही ऑन लाईन अंक की प्रविष्टि कराकर लिफाफा संस्था में जमा कर सुरक्षित रखे जावे। मण्डल को आवश्यकता होने पर समन्वय संस्था से प्राप्त किये जावेंगे। अंकों की हार्ड कॉपी मण्डल मुख्यालय प्रेषित नहीं की जाना है।

परीक्षा नियंत्रक 21/8/20
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमाँक/460/गोपनीय/2020 भोपाल, दिनाँक 21/8/2020

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
2. निज सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
7. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
10. प्राचार्य समस्त जिला समन्वय संस्था, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सी.एस.ओ., माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित्त कक्ष को संस्थावार छात्र संख्या की सूची उपलब्ध करवाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. विधि सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मुख्यालय से नियुक्त बाह्य परीक्षकों के टी.ए./डी.ए./पारिश्रमिक (6/– प्रति छात्र के मान से) का भुगतान पात्रतानुसार अपने कार्यालय से करना सुनिश्चित करें।
14. पंजीयक परीक्षा/सहायक सचिव, समस्त परीक्षा संभाग मा.शि.म. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पत्र की प्रति समस्त डी.एल.एड. संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाए जाने हेतु।
15. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल
16. संचालक एम.पी.ऑनलाइन, भोपाल, म.प्र

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/8/20
परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल